**[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]**

**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व विभाग)**

**अधिसूचना सं. 17/2017 – संघ राज्य क्षेत्र कर**

नई दिल्ली, तारीख 24 अक्तूबर, 2017
2 कार्तिक, शक 1939

**सा.का.नि.........(अ).-** केंद्र सरकार, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अधीन जारी अधिसूचनाएं स्वत: ही उक्त अधिनियम के प्रति विस्तारित होंगी।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 31011/25/2017-एसटी-I-डीओआर ]

(एस. आर. मीना)
अवर सचिव, भारत सरकार